राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

एफ.7(28) परीक्षा 'क' / प्रधानाध्यापक. / 2017–18 / दिनांक 09.08.2019

प्रधानाध्यापक (मा.वि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची दिनांक 19.07.2019 को जारी की गई है। उक्त सूची के अभ्यर्थियों की पात्रता जांच काउंसलिंग के माध्यम से की जा रही है। आयोग द्वारा प्रथम चरण की काउंसलिंग दिनांक 06.08.2019 से 09.08.2019 तक आयोजित की जा चुकी है एवं शेष रहे अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग दिनांक 19.08.2019 से 03.09.2019 तक (रोल नं. 127038 से 215681 कुल 2152 अभ्यर्थी) आयोजित की जा रही है। विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम, अभ्यर्थियों के काउंसलिंग पत्र आयोग की वेबसाइट **https://rpsc.rajasthan.gov.in** पर जारी किये जा रहे हैं जिन्हें अभ्यर्थी दिनांक 14.08.2019 से डाउनलोड कर काउंसलिंग कार्यक्रम अनुसार काउंसलिंग में स्वयं उपस्थित होंवें। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा अलग से कोई ऑफलाईन पत्र जारी नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी काउन्सलिंग कार्यक्रम की जानकारी हेतु आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा काउंसलिंग पत्र के साथ जारी "**अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा–निर्देशों**" को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त संदर्भ में पूर्व में जारी प्रेस–नोट दिनांक 05.08.2019 एवं 07.08.2019 का भी आयोग की वेबसाईट पर आवश्यक रूप से अवलोकन करें।

निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अंतिम परिणाम हेतु विचारित योग्य नहीं होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा / दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(के0के0 शर्मा)
सचिव